कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई,दिनांक 29/9/2025

क./उद्यान/न.नि./2025/517

रूचि की अभिव्यक्ति संशोधित ऑफर

नगर पालिक निगम, भिलाई में क्षेत्रांतर्गत विभिन्न उद्यानों को 3 वर्षो तक रखरखाव, संधारण एवं संचालन करने हेतु इच्छुक सामाजिक संस्था से रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) में उल्लेखित शर्तो के अंतर्गत ऑफर दिनांक 21/10/25 को सायं 5:00 बजे तक मुहरबंद लिफाफे में वित्तीय ऑफर आमंत्रित किया जाता है। नेशनल हाईवे के किनारे उद्यानों के लिए धरोहर राशि रू. 5,00,000.00 मात्र एवं शेष उद्यानों के लिए धरोहर राशि रू. 50,000.00 मात्र की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का कार्यपालन अभियंता (उद्यान) नगर पालिक निगम, भिलाई के संयुक्त नाम पर FDR मात्र का एवं आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से 1000.00 मात्र का डी.डी. तथा संस्था के पेनकार्ड की छायाप्रति, संस्था का पंजीयन, शपथ पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेज स्वहस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र लिफाफा "अ" में डालकर कार्य का नाम, प्रेषक का नाम सहित कार्यपालन अभियंता, (उद्यान विभाग, मुख्य कार्यालय सुपेला) नगर पालिक निगम, भिलाई पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा, अन्य माध्यम मान्य नहीं होगा। रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर दिनांक 22/10/25 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम एवं शर्ते नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** व संचनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** एवं चीप की वेबसाईट **eproc.cgstate.gov.in** से देखी जा सकती है। किसी भी प्रकार का संशोधन/सूचना की जानकारी उपरोक्त वेबसाईट में प्रदर्शित की जावेगी।

टीपः– निविदाकर्ता को लिफाफा के उपर उद्यान का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना आवश्यक है।
(उद्यानो की सूची में उल्लेखित अनुसार)

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

उद्यानों के निःशुल्क संधारण, रखरखाव एवं संचालन कार्य हेतु नियम–शर्ते

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत विभिन्न उद्यानों के रखरखाव, संधारण एवं संचालन करने हेतु समाजिक संस्था से दिनांक 21:10:25 को 5:00 P.M. बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। विस्तृत नियम–शर्ते तथा उद्यानों की सूची कार्यालय उद्यान से प्राप्त किया जा सकता है एवं कार्यालय नगर पालिक निगम की वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com से डाउनलोड की जा सकती है। प्रस्ताव हेतु शर्ते निम्न हैः–

1. समाजिक संस्था को नेशनल हाईवे से लगे उद्यानों के लिए निर्धारित राशि 5,00,000.00 मात्र एवं शेष उद्यानों के लिए निर्धारित राशि रू 50,000.00 कार्यपालन अभियंता न.पा.नि.भिलाई के संयुक्त नाम से एफ.डी.आर. किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक का एवं आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से डी.डी. 1,000.00 मात्र तथा समाज का रजिस्ट्रेशन, शपथ पत्र, व्यक्ति का पहचान पत्र व पता संबंधी दस्तावेज, पेनकार्ड हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का अधिकार पत्र लिफाफा 'अ' में डालकर प्रस्तुत करना होगा।
2. ऑफर स्वीकृत होने के सूचना प्राप्ति के 7 दिनो के भीतर इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा चलित कार्यवाही निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की स्थिति में कार्यादेश के पश्चात 1 सप्ताह के अंदर रखरखाव, संधारण एवं संचालन का कार्य प्रारंभ करना होगा।
3. उद्यान का रखरखाव कार्य लगातार 3 वर्षो के लिए होगा। अनुबंध नवीनीकरण करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित होगा।
4. संस्था को उद्यान देखरेख एवं रखरखाव के लिए सौंपा जायेगा। अतः अनुबंध अवधि में उद्यान एवं उद्यान में स्थापित संपत्ति की हानि हेतु क्षतिपूर्ति सामाजिक संस्था द्वारा वहन की जावेगी तथा इस आशय का शपथ पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के समय देना होगा।
5. उद्यान में प्रवेश सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। समय का निर्धारण नगर पालिक निगम भिलाई करेगा।
6. सामाजिक संस्था द्वारा किया गया उद्यानों में व्यय किसी भी स्थिति में आधिपत्य के अधिकार के आधार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा।

7. कार्य पर लगाये गये श्रमिको का पहचान पत्र सामाजिक संस्था को देना होगा। कर्मचारियो के कार्य समय के दौरान मृत्यु/दुर्घटना के लिए सामाजिक संस्था जवाबदार होगा।

8. उद्यान का नवीनतम फोटोग्राफ्स प्रत्येक माह उद्यान विभाग में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिससे उद्यान की स्थिति का आंकलन कर अनुबंध निरंतरता पर उचित निर्णय लिया जा सके।

9. प्रभारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करना होगा। उद्यानों का निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर उद्यानों का निरीक्षण किया जा सकेगा व निरीक्षण के दौरान सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशो का पालन सामाजिक संस्था को करना होगा।

10. पौधो को सुरक्षित रखने एवं आवश्यकता अनुरूप सिंचाई करना, पौधो को जीवित अवस्था में रखने का दायित्व सामाजिक संस्था का होगा। उद्यानों की साफ सफाई एवं उद्यान को व्यवस्थित रखना होगा। उद्यान का रखरखाव कार्य यदि संतोष जनक या सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार नहीं पाये जाने पर अथवा नियम-शर्तो के उल्लंघन पर एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

11. सामाजिक संस्था द्वारा नगर पालिक निगम विज्ञापन नीति एवं शर्तो के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन किया जा सकेगा। आपत्तिजनक विज्ञापन प्रतिबंधित रहेगा।

12. उद्यान में कचरा निपटान के लिए खाद निर्माण हेतु कम्पोस्ट पीट/पोर्टेबल पीट का निर्माण करना होगा।

13. सामाजिक संस्था द्वारा जिस उद्यान का संचालन/रखरखाव किया जा रहा है, उस उद्यान के अंदर अपने समाज का प्रतीक चिन्ह/स्तंभ स्थापित कर सकते है।

14. यह ध्यान रखा जायेगा की उद्यान में भ्रमण करने वाले लोगो को कहीं पर किसी भी प्रकार का अवरोध न हो।

15. सामाजिक संस्था द्वारा कार्य के संबंध में कोई भी दावा व वाद आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को स्वीकार्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र दुर्ग रहेगा।

16. उद्यान में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई	उद्यान अधिकारी नगर पालिक निगम भिलाई	उप अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई
निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित उद्यानों की सूची

क्रं.	नया वार्ड	जोन क्रमांक	स्थल का नाम	क्षेत्रफल
1	1	जोन क्रं. 01	खम्हरिया जुनवानी उद्यान (अमृत मिशन)	4050m2
2	2	जोन क्रं. 01	तिलक पार्क नेहरू नगर	840m2
3	3	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम मिनीमाता उद्यान	418m2
4	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम एकता पार्क	1645m2
5	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व गणेश उद्यान	2460m2
6	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व मधुकामनी बाल उद्यान (अमृत मिशन)	5264m2
7	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर एस. सी. श्रीवास्तव घर के सामने सहस्त्रबाहु उद्यान	1800m2
8	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पूर्व बख्शी उद्यान	3360m2
9	4	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम कृष्णा उद्यान (विवेकानंद)	4200m2
10	4	जोन क्रं. 01	नेहरू नगर पश्चिम सी.एस.ई.बी. ऑफिस साई उद्यान	6726m2
11	6	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शनी परिसर पूर्व बाल उद्यान	5508m2
12	6	जोन क्रं. 01	प्रियदर्शनी पूर्व ब्लाक 5/15 के सामने उद्यान	3000m2
13	7	जोन क्रं. 01	मैत्री विहार उद्यान (अमृत मिशन)	5000m2
14	7	जोन क्रं. 01	राधिका नगर एकता पार्क	1710m2
15	14	जोन क्रं. 02	शांति नगर बाल उद्यान	1248m2
16	14	जोन क्रं. 02	बाल उद्यान टंकी क्रं. 02 वैशालीनगर	1800m2
17	14	जोन क्रं. 02	बाल उद्यान टंकी क्रं. 03 वैशालीनगर	3000m2
18	20	जोन क्रं. 02	श्वेताम्बर मंदिर रोड़ स्थित उद्यान	2405m2
19	24	जोन क्रं. 02	खुबचंद बघेल हाउसिंग बोर्ड उद्यान (अमृत मिशन)	3000m2
20	24	जोन क्रं. 02	हाउसिंग बोर्ड में उद्यान(विधायक निवास के सामने)	360m2
21	26	जोन क्रं. 02	भागीरथी उद्यान	8025m2
22	29	जोन क्रं. 02	अर्जुन नगर दशहरा मैदान के पास उद्यान	13000m
23	31	जोन क्रं. 03	जयंती उद्यान वैकुण्ठधाम	10585m
24	36	जोन क्रं. 03	टाटा लाईन में उद्यान (अमृत मिशन)	875m2
25	40	जोन क्रं. 04	मुक्तिधाम छावनी उद्यान	8000m2
26	42	जोन क्रं. 04	गौतम नगर रविन्द्र सिंह घर के पास उद्यान	600m2
27	42	जोन क्रं. 04	शिव मंदिर गौतम मंदिर उद्यान	2400m2
28	43	जोन क्रं. 04	बापू नगर गार्डन (अमृत मिशन)	3900m2
29	45	जोन क्रं. 04	कृष्णा पार्क खुर्सीपार	1500m2
30	51	जोन क्रं. 04	एच.ए.सी.एल. कालोनी खुर्सीपार उद्यान	2000m2
31	69	जोन क्रं. 05	एच.आई.जी.–I 100 हैप्पी गार्डन	1118m2
32	70	जोन क्रं. 05	एम.आई.जी.–I 265 के पास उद्यान (अमृत मिशन)	2800m2